



2026:AHC:20558

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 3673, वर्ष 2025

राजेश
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : सुनील कुमार पांडे
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : आनन्द मणि त्रिपाठी, सी.एस.सी., पंकज
कुमार गुप्ता, सत्य प्रकाश मिश्र

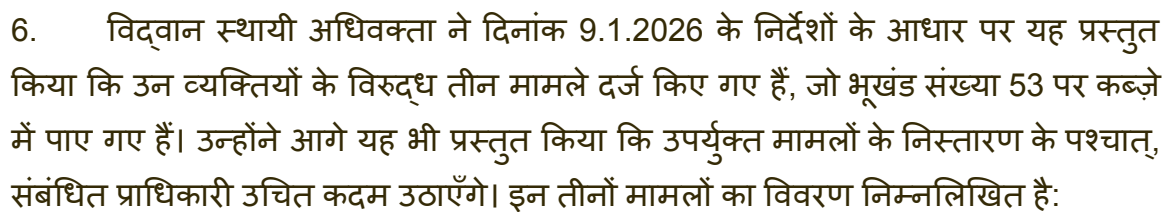
न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री ओम आनंद, श्री सत्य प्रकाश मिश्र, निजी प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी-गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता की दलीलें सुनी गईं।
2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:
"1. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 6 से 9 द्वारा ग्राम सभा की संपत्ति—गाटा संख्या 53, क्षेत्रफल 0.1000 हेक्टेयर (नवीन परती)—पर किए गए अवैध अतिक्रमण को, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर हटा दें; यह संपत्ति ग्राम गोरिया नैन, तहसील हरैया, जिला बस्ती में स्थित है।"
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन भूखंड में हुई प्रविष्टि के मद्देनज़र, अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे उक्त भूखंड से अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक कदम उठाएँ।
4. इस न्यायालय ने विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता को इस मामले में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया।
5. इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, उप-विभागीय अधिकारी, हरैया, बस्ती द्वारा दिनांक 9.1.2026 को भेजा गये निर्देश को अभिलेख पर लिया गया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. निजी प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि निजी प्रतिवादी अवैध कब्जे में नहीं हैं और यह जनहित याचिका सही तथ्यों के साथ दायर नहीं की गई है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

29 જાનવરી 2026

रमीज

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"